फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,बाड़मेर

सांवतसिंह वगै.
बनाम
सरकार

किस्म मुकदमा 225 आर.टी एक्ट न. 13 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.02.2022	पत्रावली बाद जांच पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट श्री छैलसिंह राठौड़ एवं सरकार की तरफ से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अपील राजस्थान काश्तकारी एक्ट 1955 के अन्तर्गत धारा 225 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर फतेहगढ द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 बअनवान सांवतसिंह वगै. बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 16.12.2021 के विरूद्ध पेश हुई। मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि है तथा वक्त सेटलमेंट अपीलाधीन आराजी की अपीलांट को खातेदारी नहीं दी गई। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दावे के विचारण में अपीलांट को मौके से बेदखल किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होना संभावित है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाया जावे। राजकीय अभिभाषक ने अपील पत्रावली पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिस पर अपीलांट का कोई हक नहीं बनता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद विवेचन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार नंबर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर	G. A.